अमरूद के बागों का जीर्णोद्धार

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत अमरूद के जीर्णोद्धार पर होने वाले व्यय का विवरण

- जीर्णोद्धार तकनीक के द्वारा पुराने घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी पौधों में नये प्ररोह की संख्या बढ़ाकर पौधों को पुनः उत्पादक बनाया जाता है।
- जीर्णोद्धार तकनीक से पौधों की कैनॉपी (फैलाव व आकार) प्रबन्धन द्वारा अधिक से अधिक फल देने वाली शाखाओं में वृद्धि की जाती है। जिसके फलस्वरूप पुराने अनुत्पादक बागों से पुनः गुणवत्तायुक्त अच्छी उपज (प्रति पौधा) मिलती है। इस तकनीक के निम्नलिखित मुख्य चरण है :–

प्रथम चरण : पुराने घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी पौध को भूमि से 1.0 से 1.5 मी. की ऊँचाई पर काटी जाती है। (मई / दिसम्बर–फरवरी)

नोट : सामान्यतः बरसात के बाद ही ज्यादातर पौधों में ऊपर से पत्तियां पीली होने लगती हैं व धीरे–धीरे पौधे की शाखायें एक के बाद एक सूखने लगती हैं जिसे जीर्णोद्धार करना आवश्यक हो जाता है। दिसम्बर–फरवरी माह में जीर्णोद्धार करने के बाद पर्याप्त मात्रा में नये कल्लों का सृजन होता है और इन कल्लों का मई–जून में प्रबन्धन किया जाता है, जिससे जाड़े में अच्छी फसल होती है। उसी प्रकार मई में जीर्णोद्धार किये पौध से निकलने वाले कल्लों का प्रबन्धन अक्टूबर में किया जाता है जिससे बरसात में फलत आती है।

दूसरा चरण : जीर्णोद्धार के 5-6 माह उपरान्त नये निकले कल्लों का प्रबन्धन (अक्टूबर / मई–जून) किया जाता है जिसमें कल्लों की लम्बाई के आधे भाग (50 प्रतिशत) को काटा जाता है। कटे हुए भाग से पुनः अधिक संख्या में नये कल्लों का सृजन होता है जिस पर फूल और फल आते हैं।

दो चरणों के उपरान्त हर साल मई माह में प्रूनिंग (प्ररोह का आधा भाग काटना) करते हैं जिससे जाड़े में अधिक फल की प्राप्ति होती है तथा साथ ही पौधों के फैलाव और आकार पर भी नियंत्रण बना रहता है।

तीसरा चरण : द्वितीय चरण के बाद मई माह में फल–फूल वाली अन्य शाखाओं को उनकी कुल लम्बाई का आधा भाग (50 प्रतिशत) काट देना चाहिए ताकि जाड़े में अधिक फल प्राप्त हो सकें तथा पौध का फैलाव व आकार पर नियंत्रण होने के साथ–साथ बरसाती फल भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हर साल मई माह में पौधों में प्रूनिंग की जाती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- जीर्णोद्धार तकनीक
- प्ररोह प्रबन्धन
- शस्य क्रियायें
- जीर्णोद्धार उपरान्त बाग में अन्तः फसल के बारे में सुझाव ताकि अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

Downloaded from www.uphorticulture.gov.in
Internet Copy